

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-477 /2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 40)

सेना भंगरा.....आवेदक / विक्रेता

बनाम
1. सनिका पुर्ती वो 2. गंगरा पुर्ती.....विपक्षी / क्रेता

| आवेदन की तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, लार्जियल सहित | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|----------------|--|--|-------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|----|----|-----|------|--|
| 07.12.2023 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भंगरा पिता/पति स्व० निवय भंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <table border="1" data-bbox="215 963 1316 1108"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">भूमि का विवरण</th> </tr> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सिम्बुकेल</td> <td>76</td> <td>03</td> <td>271</td> <td>0.07</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भंगरा पिता/पति स्व० निवय भंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता 1. श्री/श्रीमती सनिका पुर्ती वो 2. श्री/श्रीमती गंगरा पुर्ती दोनों के पिता/पति स्व० विक्रम पुर्ती दोनों ग्राम-बुरुडीह, पो०-मरांगहादा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0254087947 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 829 दिनांक 08.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम एतवा मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयत में से एक चमरा मुण्डा के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 2 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य</p> | भूमि का विवरण | | | | | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | सिम्बुकेल | 76 | 03 | 271 | 0.07 | |
| भूमि का विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | | | | | | | | | | | | | |
| सिम्बुकेल | 76 | 03 | 271 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | |



है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1686 दिनांक 30.09.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत 1. जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/474670 दिनांक 07.01.2023 व 2. जाति प्रमाण पत्र सं० JHCST/2022/474714 दिनांक 07.01.2023 एवं 1. आवारीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2021/712731 दिनांक 07.01.2023 व 2. आवारीय प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2022/712756 दिनांक 07.01.2023 एवं दोनों का आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 829 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भेंगरा पिता/पति स्व० निबय भेंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता 1. श्री/श्रीमती सनिका पुर्ती व 2. श्री/श्रीमती मंगरा पुर्ती दोनों के पिता/पति स्व० विक्रम पुर्ती दोनों ग्राम-बुरुडीह, पो०-मरांगहादा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 271 रकबा 0.07 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।